महत्वपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/556 भोपाल, दिनांक 27/04/2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।

विषयः– नॉन कोविड शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन व रोगियों के प्रबंधन संबंधी निर्देश।

संदर्भः– 1. संचालनालयीन आदेश क्र./कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/548 दिनांक 25/04/20

2. संचालनालयीन आदेश क्र./आई.डी.एस.पी/2020/468 दिनांक 16/04/2020.04.2020

विषयातंर्गत लेख है कि संदर्भित आदेशों के द्वारा नॉन कोविड शासकीय अस्पतालों में कोविड–19 संदिग्धों/पुष्ट रोगियों के प्रबंधन संबंधी मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गए है। **ऐसे शासकीय अस्पताल जो वर्तमान में कोविड–19 रोगियों के उपचार/प्रबंधन हेतु डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेन्टर (DCHC) अथवा डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (DCH) के रूप में चिन्हांकित नहीं है के लिए पुनः निर्देशित किया जाता है किः–**

- कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए **बाह्य रोगियों की Triaging** की जाये। अस्पताल परिसर में मास्क /अन्य साधनों जैसे रूमाल, दुपट्टा, तौलिया, गमछा आदि से रोगी तथा परिजनों को मुँह ढांकना अनिवार्य किया जाये।
- Influenza Like Illnes (ILI) के लक्षण अर्थात सर्दी, बुखार, खांसी व सांस की कठिनाई वाले रोगियों की स्क्रीनिंग कर 'फ्लू ओ.पी.डी' में पृथक से उपचारित किया जाये।
- समस्त अस्पतालों में रोगियों के आवागमन को नियंत्रित किया जाये तथा परिसर में Social Distancing का पालन किया जाये।
- पदस्थ स्टाफ की ड्यूटी, रोस्टर अनुसार Contingency Plan बनाकर रोटेशन में लगाई जाये ताकि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की संक्रमण से सुरक्षा व सेवाओं की निरन्तरता बनी रहे।
- ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध कराई जाये।
- **कोविड–19 के पुष्ट रोगी के अस्पतालों में भर्ती होने पर** उसे तत्काल आईसोलेट किया जाये व स्थानीय प्रशासन को सूचित कर परिलक्षित लक्षणों के आधार पर जिले के चिन्हांकित कोविड केयर सेन्टर (CCC), डेडिकेटेड कोविड केयर अस्पताल (DCHC) तथा डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (DCH) में सुरक्षित ट्रान्सफर की व्यवस्था की जाये।
- ऐसे रोगी के पास न्यूनतम 1 सेवा प्रदाता को ही PPE Kit से लैस कर, तैनात किया जाये ताकि अन्य मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ को Infection Exposure से बचाया जा सके।
- Transfer के दौरान समस्त Ambulance Protocol का पालन किया जाये। रोगी का सम्पूर्ण विवरण, Contact Listing व Contact Tracing सुनिश्चित की जाये।

Scanned by CamScanner

- **किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता में ILI/SARI के लक्षण परिलक्षित होने पर** मास्क का उपयोग करने के निर्देश दिये जाये एवं तत्काल कोविड–19 के जॉच समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- ऐसे स्वास्थ्य कर्मी के संपर्क में आये अन्य कर्मी, परिजन व रोगियों की नामजद सूची तैयार की जाये ताकि जॉच रिपोर्ट के पॉजीटिव आने की स्थिति में Quarantine संबंधी अग्रिम कार्यवाही प्रशासन को उपलब्ध कराई जा सके।
- पुष्ट/संदिग्ध कोविड–19 रोगी के संपर्क में आये समस्त स्वास्थ्य कर्मी, सपोर्ट स्टाफ, परिजन एवं अन्य रोगी तथा आंगतुकों को Hydrochloroquin का प्रोफाईलेक्टिक डोज चिकित्सकीय सतर्कता के साथ दी जाये।
- **नॉन कोविड अस्पतालों में यदि कोविड–19 के संदिग्ध रोगी में SARI के लक्षण अथवा अन्य जटिलतायें परिलक्षित होती है तो ऐसे रोगियों की तत्काल सैम्पल एकत्रिकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा जॉच रिपोर्ट को फास्ट–ट्रैक किया जाये।**

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/557 भोपाल, दिनांक 27/04/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन वल्लभ भवन, म.प्र।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
7. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
8. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
9. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

27/4
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner